

# शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (लर्निंग लाईसेंस)

## I आधार

कोई व्यक्ति शिक्षार्थी के रूप में किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए तभी अधिकृत है जबकि उसने संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी से लर्निंग लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो।

संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी आवेदक के नियमानुसार प्राप्त आवेदन के आधार पर वांछित वर्ग का मोटर वाहन, शिक्षार्थी के रूप में चलाने के लिए लर्निंग लाईसेंस जारी करेगा।

## II आवेदन कहाँ किया जाना है – स्थान

लर्निंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन उस क्षेत्र के लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ:-

1. आवेदक साधारणतया निवास करता है, या
2. व्यापार करता है, या
3. जहाँ वह मोटर ड्राइविंग स्कूल स्थित है जिसमें वह मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

## III आवेदन किसे किया जाना है – लाईसेंसिंग ऑथोरिटी

जिले के लिए जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के रूप में विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर वाहन निरीक्षक-

उपर्युक्त के अतिरिक्त लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के रूप में कार्यरत अन्य प्राधिकरण –

राज्य में लर्निंग लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए निम्नलिखित को भी लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में (निर्धारित प्रक्रिया के अधीन जिन्होंने स्वीकृती प्राप्त कर ली है) लर्निंग लाईसेंस जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है:—

1. सरकारी एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्राचार्य
2. मोटर ड्राइविंग स्कूल
3. मोटर वाहन डीलर

#### IV आवेदन की प्रक्रिया

लर्निंग लाईसेंस जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर, प्ररूप 2 में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए किया जाएगा—

1. प्रपत्र संख्या 1 में चिकित्सीय स्वघोषणा (शारीरिक उपयुक्तता घोषणा पत्र)
2. एवं व्यवसायी वाहनों के लर्निंग लाईसेंस हेतु प्ररूप संख्या 1-ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सरकारी सेवारत चिकित्सक द्वारा जारी किया जाएगा।

नोट:— नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी के मोटर वाहनों के लाईसेंस हेतु केवल चिकित्सीय स्वघोषणा पत्र प्रपत्र संख्या 1 में दिया जाता है।

3. आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो की 3 प्रतियां।
4. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्थान के निम्नलिखित प्रमाणों में से किन्हीं भी दो प्रमाणों की सत्यापित प्रतियां:—
  - (i) फोटो पहचान पत्र
  - (ii) निर्वाचक नामांकन
  - (iii) जीवन बीमा पॉलिसी
  - (iv) पासपोर्ट
  - (v) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची

(vi) अथवा इस बाबत नियमानुसार स्वीकृत अन्य कोई प्रमाण की प्रति

5. नियम 4 के अनुसार निम्न में से किसी एक आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति—

- (i) स्कूल प्रमाण पत्र
- (ii) जन्म प्रमाण पत्र
- (iii) जीवन बीमा पोलिसी

नोट:— यदि आवेदक नियम 4 के अनुसार आयु या पते के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके तो आयु एवं पते के बारे में शपथ पत्र जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, संलग्न कर सकता है।

6. 50 सी.सी. तक की इंजिन क्षमता हेतु 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को प्रपत्र संख्या 2 पर उसके माता-पिता या संरक्षक की लिखित सहमति (हस्ताक्षर) कराने आवश्यक हैं।

7. व्यवसायिक लर्निंग लाइसेंस हेतु कम से कम 1 वर्ष पुराने हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति

8. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार निर्धारित फीस —

लर्निंग लाइसेंस जारी/नवीनीकरण हेतु — 30 रुपये  
प्रति श्रेणी

फार्म 6 (Book Form) में स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु— 40 रुपये

फार्म 7 (Laminated/Smart card type) में स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु— 200 रुपये

चालन के सक्षमता परीक्षण (Testing fees) हेतु — 50 रुपये  
प्रति श्रेणी

नोट:— लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस (स्थायी) की फीस भी देय होगी।

### कुल देय फीस (फॉर्म 7 में जारी करने हेतु)–

एक श्रेणी के वाहन हेतु–	30+200+50	=	280 रूपये मात्र
दो श्रेणी के वाहन हेतु–	60+200+100	=	360 रूपये मात्र
तीन श्रेणी के वाहन हेतु–	90+200+150	=	440 रूपये मात्र

### **V** प्रारम्भिक परीक्षण

प्रपत्र संख्या 2 के साथ उल्लेखित दस्तावेज एवं फीस को संलग्न कर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के समक्ष आवेदक को प्रारम्भिक परीक्षण के लिए स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार यातायात चिह्न, यातायात संकेत और सड़क के नियम संबंधित जानकारी बाबत उससे पूछे गए प्रश्नों का कम से कम 60 प्रतिशत सही उत्तर देना होगा

प्राप्त आवेदन अर्थात् प्रपत्र संख्या 2 के साथ संलग्न प्रपत्रों की जाँच एवं प्रारम्भिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा प्रपत्र 3 में लर्निंग लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा।

( प्ररूप -1 (नियम 5 (2) देखिये )

शारीरिक उपयुक्ता के लिए आवेदन एवं घोषणा

1. आवेदक का नाम ..... 2. .... का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. स्थायी पता .....
4. अस्थायी पता .....
5. (क) जन्म की तारीख ..... (ख) आवेदन की तारीख को आयु .....
6. पहचान चिन्ह (1) ..... (2) .....

**घोषणा**

(क) क्या आप अपस्मार, या बेहोशी के अचानक दौरा या किसी भी कारण से सिर के चक्कर से पीड़ित है ? ..... हां/नहीं

(ख) क्या आप प्रत्येक आंख से विभेद करने में समर्थ हैं (या यदि आपके पांच वर्ष से अनिधक अवधि के लिए मोटर यान चलाने का लाईसेंस रहा ओर यदि आपने उक्त पांच वर्ष की अवधि में बाद अपनी एक आंख से दृष्टि खो दी है और यदि ट्रांसपोर्ट-यान के अलावा अन्य हल्का मोटर यान को, जिसके वाहन स्टेयरिंग व्हील साइड में बाहर कांच लगा हो, चलाने के लिए आवेदन किया है ) या (एक आंख से 25 मीटर की दूरी पर दिन की अच्छी रोशनी में यदि चश्मा लगाते हैं, तो उसे पहनकर) एक मोटर कार की नम्बर प्लेट को देख सकते है ? ..... हां/नहीं

(ग) क्या आप दोनों में से कोई हाथ या पैर खो चुके हैं या क्या आपकी बांहों या पैरों में से किसी के संचालन, नियंत्रण या मांसपेशियों की शक्ति में कोई कमी है ?

..... हां/नहीं

(घ) क्या आप लाल और हरे रंजक रंगों में आसानी से भेद कर सकते है ?

..... हां/नहीं

(ङ.) क्या आप रतौंधी से पीड़ित है ? ..... हां/नहीं

(च) क्या आप इतने बधिर हैं कि सामानरू, ध्वनि संकेत सुन पाने में (और यदि आवेदन हल्के मोटर यान के चालन के लिए है तो उस दशा में श्रवण सहाय सहित या उसके बिना) असमर्थ हैं। ..... हां/नहीं

(छ) क्या आप किसी अन्य ऐसे रोग या निःशक्ता से पीड़ित है जिसके कारण आपके मोटर यान चालन से जनता को खतरे का एक स्रोत बन जाने की सम्भावना है ? यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें, ..... हां/नहीं

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई विशिष्टियां और इसमें की गई घोषणा सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर या  
अंगूठे का चिन्ह

(प्ररूप -1-क)

(देखिये नियम 5 (1), (3), 7, 10 (क), 14 (घ) और 18 (घ))

चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट)

( राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा भरा जाना है )

1. आवेदक का नाम .....
  2. पहचान चिन्ह (1) ..... (2) .....
  3. (क) क्या आवेदक, आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, किसी दृष्टि के दोष से पीड़ित है ? यदि ऐसा है, तो क्या उसे उपयुक्त चश्में द्वारा सही किया गया है ?  
..... हां/नहीं  
(ख) क्या आवेदक, आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, आसानी से लाल और हरे रंजक रंगोंमें विभेद कर सकता है ? ..... हां/नहीं  
(ग) आपके अभिमत में, क्या वह 25 मीटर की दूरी पर दिन की अच्छी रोशनी में अपनी आंखों की दृष्टि से मोटर कर की नम्बर प्लेट का विभेद करने में समर्थ है ?  
..... हां/नहीं  
(घ) आपके अभिमत में, क्या आवेदक ऐसी मात्रा तक बधिरपन (बहरापन) से पीड़ित है, जो सामान्य ध्वनि-संकेतो को सुनने से उसे निवारित करेगा ? हां/नहीं  
(च) क्या आवेदक में कोई अंग विकार या अंग की हानि है, जिससे चालक के रूप में उसके दक्षतापूर्वक कर्तव्य-पालनमें विघ्न होगा ? यदि ऐसा है, तो विस्तृत रूप से कारण दीजिये ? ..... हां/नहीं  
(छ) ऐच्छिक  
(क) आवेदक का रक्त-ग्रुप .....
- (ख) आवेदक का आर.एच. फैक्टर  
(यदि आवेदक ऐसा चाहे कि यह सूचना उसकी चालन अनुज्ञप्ति में अंकित की जाय)  
आवेदक द्वारा प्ररूप-1 में शारीरिक उपयुक्ता के बारे में दी गई घोषणा संलग्न है।

( चिकित्सकीय उपयुक्ता प्रमाण-पत्र )  
(मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि –

1. मैंने आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा की है ,
2. आवेदक की परीक्षा करते समय मैंने उसकी दूर-दृष्टि पर विशेष ध्यान दिया है,
3. आवेदक की परीक्षा करते समय, मैंने उसकी श्रवण शक्ति, भुजा, पैरों, हाथ दोनों अग्रगण्यों के जोड़ों की ओर विशेष ध्यान दिया है, और
4. मैंने आवेदक की व्यक्तिगत रूप से उसके प्रतिक्रिया समय, साइड दृष्टि और चमक की वापसी के लिए परीक्षा की है। (मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय सामान को ले जाने वाले मालवाहक के चालक के लिए लाईसेंस के मामले में लागू)  
और, अतः मैं प्रमाणित करता हूँ कि— मेरे सर्वश्रेष्ठ निर्णय के अनुसार वह चिकित्सीय रूप से चालक-अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उपयुक्त है/उपयुक्त नहीं है।  
आवेदक निम्नलिखित कारणों से अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए चिकित्सीय रूप से ठीक नहीं है –

हस्ताक्षर

1. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का नाम व पदाभिधान (मोहर)
2. चिकित्सा अधिकारी की रजिस्ट्रीकरण संख्या ...  
.....

अभ्यर्थी (आवेदक) के हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

**टिप्पणी** – चिकित्सा-अधिकारी फोटोग्राफ पर अपने हस्ताक्षर ऐसी रीति से करेगा कि उसके हस्ताक्षर का एक भाग फोटोग्राफ पर हो और एक भाग प्रमाणपत्र पर हो।

**प्ररूप संख्या 2 ( नियम 10 देखिये )**  
**शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति दिए जाने का नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप**

सेवा में,  
अनुज्ञापन अधिकारी  
.....

मैं निम्नलिखित वर्णन के एक मोटर यान को, नौसिखिया के रूप में चलाने के लिए स्वयं को प्राधिकृत करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल | (ख) गियर वाली मोटर साइकिल       |
| (ग) अशक्त यात्री गाड़ी         | (घ) हल्का मोटर यान              |
| (ङ) परिवहन यान                 | (च) मध्यम यात्री मोटर यान       |
| (छ) विलोपित                    | (ज) विलोपित                     |
| (झ) रोड़ रोलर                  | (ण) निम्नलिखित वर्णन का मोटरयान |

**आवेदक द्वारा दी जाने वाली विशिष्टियां –**

1. पूरा नाम .....
2. .... का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री
3. स्थायी पता (सबूल संलग्न किया जाए) .....
4. अस्थायी पता/सरकारी पता (यदि कोई है) .....
5. जन्म की तारीख (आयु का सबूत संलग्न किया जाए) .....
6. शैक्षिक योग्यता .....
7. पहचान चिन्ह (1) ..... (2) .....
- <sup>3</sup>(8. ऐच्छिक ..... रक्त ग्रुप ..... आर.एच.फैक्टर) .....
8. मैं ..... से ..... मोटर साइकिल/हल्का मोटर यान/मध्यम मोटर यान/मध्यम माल यान को चलाने के लिए प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति का धारक हूँ।
10. आवेदक द्वारा पूर्व धारित किसी चालन-अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां। क्या इसे रद्द किया गया था ? यदि हां, तो किस कारण से ?
11. उस यान के, जिसके लिए आवेदक आवेदन करता है, वर्णन की बाबत आवेदक द्वारा पूर्व धारित किसी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां।
12. क्या आप किसी चालन अनुज्ञप्ति या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित हुये हैं ? यदि ऐसा है तो किन कारणों से ?
13. मैं अपने हाल के फोटोग्राफ की तीन प्रतियां संलग्न करता हूँ।
14. मैं डा. .... द्वारा जारी किया गया, तारीख ..... का स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करता हूँ।
15. मैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए अपने पूर्ववर्ती आवेदन के साथ अपने माता-पिता/संरक्षक की लिखित अनुमति संलग्न करता हूँ (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)
16. मैं ..... द्वारा जारी किया या चालन प्रमाणपत्र संलग्न करता हूँ। (ड्राइविंग स्कूल का नाम और पता)
17. मैंने ..... रुपये की विहित फीस का संदय कर दिया है।



- \*18. मैं, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से छूट प्राप्त हूँ।
- \*19. मैं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 12 के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त हूँ।

\* जो लागू न हो, उसे काट दें।  
तारीख .....

आवेदक के हस्ताक्षर या अगूठा चिन्ह

(आवेदक के नमूने के हस्ताक्षर (1) ..... (2) .....

### मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री, जो अवयस्क है, जो मेरी देखभाल में है, और मैं इसके चालन के लिए दायित्व को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ। यदि किसी बाद की तारीख को मैं चालन के लिए दायित्व को स्वीकार न करने का विनिश्चय करता हूँ/करती हूँ तो मैं अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के लिए लिखित रूप में सूचित करूंगा/करूंगी। मैं शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ/देती हूँ।

नातेदारी .....  
(अनुज्ञापन प्राधिकार या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये जाने हैं)

हस्ताक्षर  
माता-पिता/संरक्षक  
नाम और पूरा पता

### कार्यालय प्रयोग के लिये

आवेदक केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से और नियम 11 (2) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त हैं।

शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी की जाए। आवेदक का केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11 (1) के प्रति निर्देश से परीक्षण किया गया था। उसने परीक्षण पास कर लिया है। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है। \* वह परीक्षण में असफल हो गया है। (कारणों का विनिर्देश किया जाय) शिक्षार्थी की अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया जाए।

- जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत  
अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर